

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0सं0-24/नि0सि0 (पट0)-03-11/2025

12-8

12-09-2025
पटना, दिनांक-

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-2912 दिनांक-25.07.2025 द्वारा श्री कुमुद रंजन (आई0डी0-जे 10208), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के विरुद्ध माह जनवरी 2025 से लगातार कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं प्रमंडलीय स्तर से बार-बार पत्राचार करने के बावजूद भी कार्यालय में योगदान नहीं करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

2. मामले की गंभीरता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री कुमुद रंजन (आई0डी0-जे 10208), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री रंजन का मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपलगंज निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/-
(कुमुद रंजन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

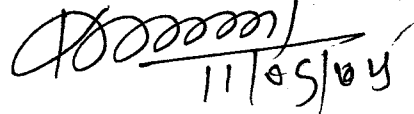
ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-

1266

/ पटना, दिनांक- 12-09-2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12, 13, 14, 16 एवं 23, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपलगंज/श्री कुमुद रंजन (आई0डी0-जे 10208), कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11/09/25

सरकार के उप सचिव